UPVR010056042026

न्यायालय सत्र न्यायाधीश, वाराणसी

उपस्थितः संजीव शुक्ला, एच.जे.एस.(यू0पी01900)

अग्रिम जमानत प्रार्थना–पत्र सं0 1850 / 2026

1. अंगनू पटेल पुत्र स्व० गुलाब पटेल
2. शीला देवी पत्नी अंगनू पटेल

समस्त निवासीगण शिवदासपुर, थाना–मण्डुवाडीह, जिला वाराणसी ।

.....प्रार्थीगण / अभियुक्तगण,

बनाम

उ0प्र0 राज्य **.....अभियोजक।**

अपराध संख्या–326 / 2024
धारा–420, 406, 504, 506 भा0दं0सं0
थाना–रोहनियां, वाराणसी।

18–06–2026

1– प्रार्थीगण / अभियुक्तगण **अंगनू पटेल** व **शीला देवी** की ओर से उपरोक्त मामले में जमानत हेतु यह अग्रिम जमानत प्रार्थनापत्र प्रस्तुत किया गया है।

2– प्रार्थीगण / अभियुक्तगण की ओर से कथन किया गया है कि यह उनका प्रथम अग्रिम जमानत प्रार्थना–पत्र है, इस जमानत प्रार्थना पत्र के अतिरिक्त अन्य कोई अग्रिम जमानत प्रार्थना–पत्र किसी अन्य न्यायालय में विचाराधीन नहीं है और न ही निस्तारित किया गया है। अग्रिम जमानत प्रार्थना–पत्र के साथ शपथ–पत्र भी दाखिल किया गया है।

3– संक्षेप में अभियोजन कथानक इस प्रकार है कि वादी राजकुमार द्वारा इस आशय की प्राथमिकी दर्ज करायी गयी कि प्रार्थी ने अपनी पत्नी साधना देवी के नाम से एक किता सट्टा इकरारनामा अंगनू पटेल पुत्र गुलाब पटेल व उसकी पत्नी शीला देवी से दिनांक 26.07.2019 को रजिस्ट्रीकृत विक्रय अनुबन्ध विलेख सट्टा इकरारनामा आ०नं० 212 रकबा 0.028 हेक्टेयर यानि 283.22 वर्गमीटर सम्पूर्ण जिसकी चौहद्दी के साथ सट्टा कराया गया है। प्रार्थी ने अंगनू पटेल व उनकी पत्नी शीला देवी को जरिए एकाउण्ट ट्रान्सफर अग्रिम धनराशि 3,00,000 / – तीन लाख रूपया भेजा है जिसे वे प्राप्त किये हैं। सट्टा इकरारनामा वाली सम्पत्ति को अभियुक्तगण द्वारा दिनांक 10.01.2022 को पवन कुमार सिंह के नाम पर फर्जी व गलत तरीके पर बैनामा कर दिया। प्रार्थी ने जब अपने पैसे वापस माँगे तो अभियुक्तगण सं 1 व 2 द्वारा प्रार्थी को पैसा वापस करने के लिए दिनांक 19.05.2026 को अपने घर बुलाया गया तथा पैसा देने की बात को लेकर अभियुक्तगण द्वारा प्रार्थी से वाद विवाद, गाली–गलौज की तथा जान से मारने की धमकी दी गयी और प्रार्थी को पैसा लौटाने से भी इंकार कर दिया।

4– उपरोक्त घटना के आधार पर अभियुक्तगण अंगनू पटेल व 2 अन्य के विरूद्ध धारा 420, 406, 504, 506 भा0दं0सं0 में अभियोग पंजीकृत कराया गया।

5– प्रार्थीगण / अभियुक्तगण उपरोक्त की ओर से अग्रिम जमानत प्रार्थनापत्र पर बल देते हुए तर्क प्रस्तुत किया गया कि वे निर्दोष है। वादी द्वारा उनसे अवैध ढ़ंग से पैसा लेने के लिए मनगढन्त कथानक रचकर झूठे केस में फंसा दिया गया है। प्रार्थीगण / अभियुक्तगण एक कम पढ़े–लिखे व्यक्ति हैं व वाराणसी शहर में मजदूरी का कार्य करते हैं। प्रार्थीगण / अभियुक्तगण ने न तो किसी से धोखाधड़ी किय है और न ही विश्वासघात किया है और न ही किसी को गाली गलौज या जान से मारने की धमकी ही

Digitally signed by SANJEEV SHUKLA
Date: 2026.06.18 13:39:18 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court

दिया है। वास्तविकता यह है कि वादी अपनी स्वामित्व की आराजी संख्या 212 को विक्रय करना चाहते थे तथा वादी व प्रार्थीगण के मध्य एक सट्टा इकरारनामा संपादित हुआ था। उक्त निष्पादन के उपरांत प्रार्थीगण वादी से बार बार याचना करते रहे कि प्रतिफल राशि का भुगतान कर विक्रय निष्पादित करा लेवें किंतु वादी हीला हवाली करता रहा जिससे प्रार्थीगण कानून की सही जानकारी न होने के कारण उक्त संपत्ति को पवन कुमार सिंह के हक में बैनामा कर दिया एवं वादी से प्राप्त अग्रिम प्रतिफल राशि भुगतान करने का निवेदन किया परंतु वादी नकद रूपयों की मांग करने लगा। इस कारण प्रार्थीगण कई किश्तों में वादी को लगभग 475000 रूपये वापस दिया जिसकी वादी द्वारा कोई प्राप्ति रसीद नहीं दी गयी तथा वादी द्वारा दीवानी मुकदमें को फौजदारी का रंग देते हुए प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करा दी गयी। प्रार्थीगण/अभियुक्तगण का कोई आपराधिक इतिहास नहीं है। वे निर्दोष है। अतः उन्हें अग्रिम जमानत प्रदान की जाय।

6– विद्वान जिला शासकीय अधिवक्ता, फौजदारी ने उक्त अग्रिम जमानत प्रार्थना–पत्र का प्रबल विरोध करते हुए तर्क प्रस्तुत किया कि अभियुक्तगण उपरोक्त तथा वादी के मध्य रजिस्ट्रीकृत सट्टा इकरारनामा निष्पादित हुआ था। अभियुक्तगण द्वारा वादी का 3 लाख रूपये हड़प लिया गया, जिसे वादी द्वारा वापस मांगे जाने पर गाली गलौज की गयी व जान से मारने की धमकी भी दी गयी। अभियुक्तगण द्वारा कारित अपराध गंभीर प्रकृति का है, अतः अभियुक्तगण का अग्रिम जमानत प्रार्थना–पत्र निरस्त किया जाए।

7– मेरे द्वारा उभय पक्ष के विद्वान अधिवक्ता के तर्कों को सुना गया तथा उपलब्ध अभियोजन प्रपत्रों का अवलोकन किया गया।

8– मामले के तथ्यों, परिस्थितियों, उपलब्ध साक्ष्य, सामग्री एवं माननीय सर्वोच्च न्यायालय की विधि व्यवस्था सतेन्द्र कुमार अंटिल बनाम सी0बी0आई0 को दृष्टिगत रखते हुए मामले के गुणदोष पर कोई राय व्यक्त किये बिना, मेरी राय में अभियुक्तगण का अग्रिम जमानत प्रार्थना–पत्र स्वीकार किये जाने योग्य है।

<u>आदेश</u>

प्रार्थीगण/अभियुक्तगण **अंगनू पटेल** व **शीला देवी** की ओर से उपरोक्त मामले में प्रस्तुत अग्रिम जमानत प्रार्थनापत्र दौरान विचारण स्वीकार किया जाता है। प्रार्थीगण/अभियुक्तगण दस दिन के अंदर सम्बन्धित न्यायालय में उपस्थित होगे तथा सम्बन्धित न्यायालय में अभियुक्तगण उपरोक्त प्रत्येक के द्वारा मु0 50,000/–(पचास हजार रूपये) का व्यक्तिगत बंधपत्र एवं समान राशि के दो प्रतिभू दाखिल करने पर इस शर्त पर अग्रिम जमानत प्रदान किया जाता है कि अभियुक्तगण विचारण मे सहयोग करेगे, संबंधित न्यायालय में नियत अगली तिथि पर उपस्थित रहेंगे तथा वादी द्वारा प्रस्तुत किये गये साक्ष्य के सापेक्ष अनावश्यक स्थगन प्रस्तुत नहीं करेंगे।

दिनांक : 18–06–2026

(संजीव शुक्ला)
सत्र न्यायाधीश,
वाराणसी।
J.O. Code-UP1900

Steno-Rohit Shukla